No.12012/1/2021-UPP(E-29022) Government of India Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi Dated the 2025

То

The Managing Director, M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited, Core-3, 9th Floor, Scope Minar, Laxmi Nagar District Centre, New Delhi – 110092.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for 3rd quarter of 2024-25 in respect of Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), Gorakhpur.

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), Gorakhpur on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for the 3rd quarter of 2024-25, as per details given below:

HURL-Gorakhpur

Rs/MT

Period 01.10.2024 to 31.12.2024		Details			Existing rate	Revised rate	
		Concession sales tax	Price	incl.	43,031	41,668	
Continuing 01.01.2025	Rate	w.e.f.	Concession sales tax	Price	incl.	43,031	41,668

2. An amount of Rs.2,681/- shall be recovered from the unit on account of gain sharing due to the sale of surplus ammonia during the 3rd quarter of FY 2024-25.

3. The above concession rates and sales tax rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

4. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears

subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

5. This issues with the concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide note #301 dated 22.05.2025 of E-File of even number.

Yours faithfully,

(Dinesh Chandra Sharma) Under Secretary to the Government of India Tele: 23389364

Copy to:

- 1. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
- 2. Director General, Fertilizer Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.
- 3. ED, FICC
- 4. Director (CE), FICC
- 5. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
- 6. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
- 7. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi 110066
- 8. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
- 9. US (IT), DoF for uploading the same on website of the Department.
- 10. Guard File.

(Dinesh Chandra Sharma) Under Secretary to the Government of India Tele: 23389364

सं.12012/1/2021-यूपीपी (ई-29022) भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक: 20 जून, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, कोर-3, 9वीं मंजिल, स्कोप मियांर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, नई दिल्ली-110092

विषय:-मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)- गोरखपुर के संबंध में वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही लिए आदान मूल्यों में त्रैमासिक वृद्धि/कमी के कारण यूरिया के प्रति मी.टन के लिए अनंतिम रियायत दर्रो और बिक्री कर दर्रो में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए आदान दर में त्रैमासिक वृद्धि/कमी के कारण मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)-गोरखपुर द्वारा उत्पादित यूरिया के प्रति मी.टन के लिए रियायत दरों और बिक्री कर दरों में एनसीवी आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

(एचयूआरएल)- गोरखपुर

रुपए/मी.टन

अवधि	विवरण	मौजूदा दर	संशोधित दर 41,668	
01.10.2024 से 31.12.2024 तक	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	43,031		
01.01.2025 से जारी दरें	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	43,031	41,668	

2. वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान अधिशेष अमोनिया की बिक्री के कारण लाभ साझा करने के लिए इकाई से 2,681 रुपये की राशि वसूल की जाएगी।

3. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनंतिम हैं जो बाद में ध्यान में आने वाले आंकड़ों/कार्य प्रणाली और गणना में किसी शुद्धि के कारण लेखा परीक्षा और संशोधन के अध्यधीन हैं।

4. आप अपने दावे एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में अधोमुखी संशोधन के कारण राजसहायता में कमी

to Josto STO

को बकाया राजसहायता बिलों या एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नए राजसहायता बिलों से विधिवत समायोजित किया जाए तथा यदि सरकार से कोई भुगतान देय न हो तो सरकार को यह राशि नियत तारीख तक लौटा दी जाए।

5. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है, जो सम संख्यांक की ई-फाइल के नोट #301 दिनांक 22.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है।

भवदीय,

(दिनेश चंद्र शर्मा) अवर सचिव (यूपीपी) दरभाष: 23389364

प्रतिलिपिः

- 1. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
- 3. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
- 4. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
- 5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- 7. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
- 8. वित्त-।। डेस्क, उर्वरक विभाग।
- अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
 गार्ड फाइल।

रिहेर्युम् ते० शामा

(दिनेश चंद्र शर्मा) अवर सचिव (यूपीपी) दूरभाष23 :23389364